FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 15)

अज अदालत अति. संभागीय आयुक्त, उदयपुर (राज0)

कैलाश	**बनाम**	सरकार

किस्म मुकदमा निगरानी/अपील/मुकदमा नं. 22/2020 प्रार्थना पत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए	
26/08/20.	वकील अपीलांट व अपीलांट अनुपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित प्रकरण का अवलोकन किया गया तथा रेकार्ड भी देखा गया। यह प्रकट आया कि वस्तुतः जिला कलक्टर का आदेश दिनांक 24.09.2011 अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 से संबंधित अधिनियम एवं नियमों के तहत पारित किया गया आदेश है, जो राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 या राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं इनके अंतर्गत बने नियमों से संबंधित कोई आदेश अथवा काश्तकारी/भू-अभिलेख से संबंधित कोई प्रशासनिक आदेश भी नही होकर संभागीय आयुक्त/अति. संभागीय आयुक्त के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित आदेश नही है अतएव यह अपील क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज की जाती है। अपीलांट अपीलाधीन आदेश के विरूद्ध संबंधित अधिनियम/नियमों के तहत सक्षम अधिकारी के समक्ष विधि अनुसार चुनौती देने को सक्षम है। अपील क्षेत्राधिकार विहिन होने से खारिज की जाती है। मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।		